

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-33/2017-18

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

धनेश्वर महतो बनाम प्रकाश महतो

15.12.20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

धनेश्वर महतो पिता-स्व० हिरूआ महतो,
ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची,
जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

प्रकाश महतो पिता-श्री शिवचरण महतो,
ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची,
जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री शिव शंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-04/05/2017 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता प्रकाश महतो पिता-श्री शिवचरण महतो, ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बरवाडीह	सोनाहातु/89	57	243	20 डी० चौहद्दी:- उ०-योगेन महतो। द०-सोनाराम महतो। पू०-धनेश्वर महतो (विक्रेता)। प०-सोनाराम महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-728(ii) दिनांक-24/09/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत हीरूआ महतो पिता-शुकुवा महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के पुत्र है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम हीरूआ महतो वगैरह है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2007-2008 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी रैयती किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष बचती है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को लड़की की शादी हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी समुदाय के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही राजस्व थाना राहे के अन्तर्गत मौजा बरवाडीह (टोला बटोसोकड़ा) के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता धनेश्वर महतो पिता-स्व० हिरूआ महतो, ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, को क्रेता प्रकाश महतो पिता-श्री शिवचरण महतो, ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-04/05/2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता धनेश्वर महतो पिता-स्व० हिरूआ महतो, ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, को क्रेता प्रकाश महतो पिता-श्री शिवचरण महतो, ग्राम-बटोसोकड़ा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बरवाडीह	सोनाहातु/89	57	243	20 डी० चौहद्दी:- उ०-योगेन महतो । द०-सोनाराम महतो । पू०-धनेश्वर महतो (विक्रेता) । प०-सोनाराम महतो ।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप समोहत्ता ।

बुण्डू ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ।

बुण्डू ।